न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (पीलीभीत)

परिवाद संख्या 354/2019

शाहिद हुसैन ––बनाम–– हरजिन्दर सिंह आदि।

दिनांकः 20.11.2019

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया है एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने अपने परिचित हरजिन्दर सिंह को दिनांक 05.06.2017 को उसकी पत्नी के इलाज के लिए मु0 50,000/–रू0 विपक्षी हरजिन्दर सिंह को दिये थे और यह तय हुआ था कि यदि आप पैसे नही चुका पायेगे तो आप हमे रूपयो के बदले में गन्ने की फसल हमें देगे। परन्तु हरजिन्दर सिंह ने न तो परिवादी के रूपये दिये और न ही गन्ने की फसल दी बल्कि स्वयं उसने गन्ने की फसल काट ली और रूपये मांगने पर टाल–मटोल करता रहा। दिनांक 26.03.2019 को विपक्षी हरजिन्दर सिंह अपने पुत्रों हरप्रीत सिंह व हरजीत सिंह के साथ शाम करीब पॉच बजे परिवादी के घर आया और परिवादी से अपनी तमाम मजबूरियां बताते हुए कहा कि वह परिवादी का रूपयो आठ–दस दिनों में वापस कर देगा और अपने पुराने संबंधों का हवाला भी दिया जिस पर परिवादी ने विश्वास कर लिया तभी उपरोक्त मुल्जिमान बीसलपुर किसी जरूरी काम से जाने के लिए परिवादी की मोटर साईकिल पंजीयन संख्या यू0पी026पी0–3701 ले गये और कहा अभी एक घण्टे में वापस लाकर देते है किन्तु मुल्जिमान ने मोटर साईकिल वापस नही की और न ही उसका रूपया वापस किया।

परिवादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 200दं0प्र0सं0 का बयान अंकित कराया और परिवाद कथानक के समर्थन में उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू01 अब्दुल हसन व पी0डब्लू02 विनोद कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपने अपने सशपथ साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 से परिवाद कथानक का समर्थन है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि हरजिन्दर सिंह ने वर्ष 2017 में उससे मु0 50,000/–रू0 अपनी पत्नी के इलाज के लिए लिये थे और कहा था कि जब तक हम पैसे दे तब तक फसल काटते रहना। हरजिन्दर ने पैसे भी नही दिए न ही फसल काटने दी। दिनांक 26.03.2019 को हरजिन्दर उसके घर आये और बोले कि आठ–दस दिन में पैसा वापस कर देगे, उसी दिन हरजिन्दर उसकी मोटर साईकिल ले गये तब हरजिन्दर ने अब तक मोटर साईकिल वापस नही दी। जब वह अगले दिन मोटर साईकिल वापस लेने गया तो उसने उसे गन्दी गन्दी गालियॉ। जिसका समर्थन परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य से भी होता है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा परिवादी से पत्नी के इलाज हेतु लिये गये मु0 50,000/–रू0 व मोटर साईकिल वापस न किये जाने के संबंध में तलब किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिवादी की परीक्षा अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण की परीक्षा अन्तर्गत 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि विपक्षीगण हरजिन्दर सिंह, हरप्रीत सिंह व हरजीत सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया

आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण हरजिन्दर सिंह, हरप्रीत सिंह व हरजीत सिंह को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह प्रोसेस फीस व सूची गवाहान दाखिल करें तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो।

पत्रावली वास्ते हाजरी अभियुक्तगण दिनांक 20.12.2019 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।